11/11/19 पत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है
P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/
यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 2/12/19 को पेश हो।

2/12/19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थिया उप०। अप्रार्थी सं. 1 की तामील हेतु जो कि रसीद डाक प्राप्त हुई। को प्राप्त पत्रावली आइन्दा दिनांक 18/12/19 को पेश हो।

18/12/19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थिया उप०। अप्रार्थी सं. 1 पर तामील रजिस्टर्ड डाक से रसीद हुई है। अप्रार्थी तामील के बावजूद अनुपस्थित है। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 20/12/19 को पेश हो।

20/12/19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थिया उप०। बहस हेतु पत्रावली दिनांक 7/1/20 को पेश हो।

7/1/20 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थिया उप०। बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27/1/20 को पेश हो।

27/1/2020 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थिया उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नकल तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

Web Copy Not Official
सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमाः– प्रार्थना–पत्र/74/2019

1. चंद्रा पुत्र फूसा उम्र 80 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम दूजोद तहसील धोद जिला–सीकर राज. –प्रार्थी

बनाम

1. रामेश्वर लाल पुत्र आसाराम उर्फ असलाराम जाति बलाई निवासी ग्राम दूजोद तहसील धोद जिला–सीकर राज.
2. तहसीलदार, तहसील धोद जिला–सीकर राज. –अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अ. धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम वास्ते पत्थर गड्डी करवाये जाने बाबत

–आदेशः–

दिनांक–27.01.2020

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम दूजोद तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा सं. 1373/228 रकबा 3.4700 हेक्टेयर, खसरा सं. 1375/234 रकबा 0.1000 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.5700 हेक्टेयर का काबिज खातेदार काश्तकार प्रार्थी है। अप्रार्थी सं. 1 रामेश्वरलाल की प्रार्थी के सींवा जोड़ कृषि भूमि खसरा सं. 1376/234 है। अप्रार्थी सं. 1 आये दिन बार–बार सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है तथा इस विवाद को समाप्त करने के लिए प्रार्थी के आवेदन पर तहसीलदार धोद के आदेशानुसार दिनांक 26.06.2019 को सीमाज्ञान किया जा चुका है। परन्तु अप्रार्थी सं. 1 सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण प्रार्थी को हैरान व परेशान कर रहा है तथा बार बार सीमा विवाद हो रहा है तथा अप्रार्थी सं. 1 लड़ाई–झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है। बार बार विवाद होने की स्थिति को समाप्त करने के लिए उक्त वर्णित अराजियात की पत्थरगड्डी करवाया जाने हेतु उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा दिनांक 09.07.2019 को धमकी दी गई कि वह किसी भी हाल में पत्थरगड्डी नहीं होने देगा तथा प्रार्थी के कब्जे हक अधिकार की भूमि को दबाते हुए अपनी नींव–सींव कायम कर लेगा। वादग्रस्त आराजियात भूमि ग्राम दूजोद तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित होने के कारण सुनवाई का माननीय न्यायालय को पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार हासिल है। यह कि अप्रार्थी सं. 2 भूमिधारक राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि होने के कारण पक्षकार बनाया गया है, जिनके विरूद्ध प्रार्थना–पत्र पेश करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आवश्यक प्रकृति का होने के कारण बिना नोटिस दिये ही प्रार्थना–पत्र पेश किया जा रहा है, जिसकी अनुमति हेतु धारा 80(2) सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना–पत्र अन्दर मियाद उचित कोर्ट फीस पर सादर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी सं. 2 को आदेश दिया जावे कि वादग्रस्त आराजियात कृषि भूमि खसरा सं. 1373/228 रकबा 3.4700 हेक्टेयर, खसरा सं. 1375/234 रकबा 0.1000 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

Web Copy Not Official

Scanned with CamScanner

5700 हेक्टेयर वाके ग्राम दूजोद तहसील धोद जिला सीकर की पत्थरगड्डी स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की देखरेख में नाप जोख करके करवायें।

2. प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. बहस एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी की ओर से यह कथन किया गया कि तहसीलदार धोद के आदेशानुसार तैयार सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 26.06.2019 के अनुसार ही पत्थरगड्डी के आदेश दिया जाना न्यायोचित है।

4. बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2076–69 के अनुसार दूजोद के खसरा सं. 1373/228 रकबा 3.4700 हेक्टेयर, खसरा सं. 1375/234 रकबा 0.1000 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.5700 हेक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है तथा खसरा सं. 1376/234 रकबा 1.7850 हेक्टेयर की खातेदारी अप्रार्थी सं. 1 के नाम पर दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली में संलग्न राजस्व नक्शा के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी की उक्त भूमियों की सींव–जोड़ आपस में सटी हुई है। अप्रार्थी की तरफ से पत्थरगड्डी का कोई विरोध नहीं किया है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थी के बीच विवाद को समाप्त करने हेतु दोनों की संयुक्त सीमा को कायम करके पत्थरगड्डी से पुख्ता चिन्ह कायम करना उचित है।

अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खसरा सं. 1373/228 रकबा 3.4700 हेक्टेयर, खसरा सं. 1375/234 रकबा 0.1000 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.5700 हेक्टेयर वाके ग्राम दूजोद तहसील धोद जिला सीकर का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 26.06.2019 के अनुसार पत्थर गड्डी करवाये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार, धोद को पालनार्थ लिखा जावें कि वोह प्रकरण में सभी पक्षकारों को जरिये नोटिस/उचित माध्यम से सूचित कर उनकी उपस्थिति में विधिपूर्वक पत्थरगड्डी की कार्यवाही की जाकर पालना रिपोर्ट से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधि. सीकर
धोद में सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद * मुख्यालय सीकर (राज.)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2020.02.04 12:08:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: